

महाराष्ट्र

बनाम मंगल शर्मा

किस्म मुकदमा 30 फरवरी 2022

नं० 57/2022

सन्

तारीख हुक्म 20.9.21	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जा इस हुक्म की तामील में जारी हुए
---------------------------	------------------------------------	--

पत्रावली पेटा 52) वकील उमरपट्ट  
उपरोक्त प्रती, 1, 2, 6, 8, 9 आदि (स्वीकारात्मक  
जवाब प्राप्त पेटा किया. सामान्य पत्रावली  
किया (नाथ ही प्रा. पत्र - नाम हुज्जत  
अर्थात् 3 केस किया, वास्तव जवाब  
में अर्थात् राज्य टिका 27.9.21 को  
पेश है

**उप राउंड अधिकारी**  
बंदीपुर (बीसा)

मंगल शर्मा  
उमरपट्टा  
केस अर्थात् शर्मा  
केस अर्थात् शर्मा

27.9.2021  
पत्रावली पेटा 52) वकील उमरपट्ट  
उपरोक्त प्रती वकील आर जवाब प्राप्त  
स्वीकारात्मक पेटा किया शामिल पत्रावली  
किया जवाब वह एक पत्रिका वकील सुनी गई  
प्रती प्रा. पत्र अर्थात् 3 नाम हुज्जत किसे  
जाते का वकील वकील सहमत है स्वीकार  
किया साकार नाम हुज्जत किया जाते है प्रती  
प्रती जज आ उमरपट्टा राज्य टिका 27.9.21  
वहलील बसना जिला बीसा लिखित भूमि खाता  
सं नपा 16 प्रती 15 के (ब. सं 183, 90 किलो  
2 रकबा 1-88 है प्रती 1, 2, 3 के पिता के  
नाम 53 राजस्व रिकॉर्ड है प्रती सं 2 के  
पिता बनवारी की भूमि हो चुकी है,  
खाता सं नपा 14 प्रती 13 के 27.9.21



**उप राउंड अधिकारी**  
बंदीपुर (बीसा)



तारीख  
को तारीख  
हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

ने भूमि अदला-बदली कर ली और  
उसके अतिरिक्त फीके पर कार्रवाई भारत है  
व्यक्तियों की लम्बे समय से पर लम्बे  
प्रत्यक्ष की है और आज भी लम्बे है  
उपरोक्त लोगों के मध्यमम प्राप्ति  
जो प्रत्यक्ष प्राप्ति प्राप्ति 49 लम्बे  
राज्य कार्रवाई अधिनियम (लम्बे-प्राप्ति  
दीने-सी) स्वीकार किया जा रहा प्रतीत  
होता है।

अतः अदिय है कि,

प्राप्ति प्राप्ति पर  
अन्तर्गत द्वारा 49 लम्बे 52 राजस्व भारत  
अधिनियम (लम्बे-प्राप्ति दीने-सी)  
स्वीकार किया जाता है। लम्बे-प्राप्ति  
प्राप्ति स्वतन्त्र भूमि ख. नं० 189, 190  
ग्राम हस्तप्रदा लम्बे-प्राप्ति के प्राप्ति  
स्वतन्त्र भूमि से हस्तप्रदा जाकर प्राप्ति  
के नाम राजस्व जावे तथा प्राप्ति  
की स्वतन्त्र भूमि ख. नं० 169, 170 ग्राम हस्तप्रदा  
लम्बे-प्राप्ति के प्राप्ति स्वतन्त्र भूमि से  
हस्तप्रदा प्राप्ति के नाम राजस्व जावे  
उपरोक्त प्राप्ति हस्तप्रदा लम्बे-प्राप्ति  
को लम्बे जाते हैं। पत्रावली को लम्बे  
लोक कानूननीय शाखिल दृष्ट है।

निर्णय हुआ गया।

(नीरज कुमार शर्मा)  
जय जिला कलेक्टर सहायक  
जिला - दारा